संख्या–84 /XXVII(7)50(06)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादून: 07 मई, 2017

विषयः–राजकीय व्यय में मितव्ययिता के परिप्रेक्ष्य में सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

वित्तीय अनुशासन तथा ''वैल्यू फार मनी'' के सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुमन्य व्यय को कम करने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 19.03.1997 एवं 29 मई, 1999 द्वारा वाहनों के उपयोग के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये थे। उक्त शासनादेशों के अनुसार प्रत्येक अधिकारी जिन्हें वाहन आवंटित है को 200 किलोमीटर प्रतिमाह तक वाहन का निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष में प्रति माह प्रति वाहन के आधार पर कार के लिए रू0 500/– तथा जीप के लिए रू0 400/– जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा किये जाने वाले प्रति वाहन, प्रति माह की वर्तमान राशि में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई, 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू0 2000/– प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी जाय।

2. उक्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

3. उक्त धनराशि राजकोष में यथानिर्धारित लेखाशीर्षक के अधीन पूर्व की भांति जमा की जायेगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /XXVII(7)50(06)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम/स्वायत्तशासी संस्थायें/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/बरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून (राज्य सरकार की वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु)।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।